Phone No. (0522) 2494027
Email. estate@sgpgi.ac.in

संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ
SANJAY GANDHI POST GRADUATE INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES,
RAEBARELI ROAD, LUCKNOW-226014

पत्रांक संख्या :पी0जी0आई0 / सम्पत्ति / एच–548 / 123 / 2025 दिनांक 17 .03.2025

परिपत्र

विषयः टाईप–3 श्रेणी के रिक्त आवास आवंटन का प्रस्ताव

टाईप–3 आवास	नया एवं पुराने परिसर के आवास –**23,27,28,29,38,40,** नर्सेस फ्लैट्स (नया परिसर) के आवास–**408,1003,1005,1006,1007,1008**			
	आवासों पर नियमानुसार आरक्षण की स्थिति			
	UR	OBC	SC	ST
	02	**00**	**08**	**02**
	नोट– अनुसूचित जनजाति के कर्मी से प्रार्थना–पत्र / आवेदन न प्राप्त होने की दशा में अनुसूचित जाति के कर्मियों को रिक्त आवास आवंटन किये जाने पर विचार किया जायेगा।			

एतद्द्वारा टाईप–3 श्रेणी के रिक्त 12 आवासों को वरिष्ठता के आधार पर आवंटित किये जाने है। आवास आवंटन हेतु आवास नियमावली–2014 के अंतर्गत वर्ष 2025 हेतु वरिष्ठता सूची कार्यालय आदेश पीजीआई / सम्पत्ति / एच–549 / 118 / 2025 दिनांक 12.03.2025 के माध्यम से वरिष्ठता सूची प्रसारित की जा चुकी है। उपरोक्त के कम में प्रस्तावित किया जाता है कि –

1. प्रथम वरीयता – वर्ष 2025 की वरिष्ठता सूची में उल्लिखित अधिकारियों / कर्मचारियों को आवास आवंटन में प्रदान की जायेगी।
2. द्वितीय वरीयता – आवास आवंटन नियमावली–2014 के नियम–7 में प्राविधानित नियमों के अंतर्गत संस्थान में अधिकारियों / कर्मचारियों द्वारा नवनियुक्त कार्यभार ग्रहण किये जाने की तिथि से 15 दिनों के अंदर आवास आवंटन हेतु प्रार्थना–पत्र नियमानुसार आवेदन किया गया हो पर दी जायेगी।
3. एक ही आवास हेतु अधिक कर्मियों के आवेदन प्राप्त होने की दशा में उपरोक्त बिन्दु सं0 01 एवं 2 तक को दृष्टिगत रखते हुये आवास आवंटन किया जायेगा।
4. भवनों का आवंटन निर्धारित आरक्षण प्रतिशत के अनुसार अनुमन्यता की सीमा तक ही भवन आवंटन किया जायेगा। साथ ही यदि भवन विशेष के आवंटन हेतु अनारक्षित, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ी जाति के कर्मियों द्वारा आवेदन किया जाता है उस दशा में वरिष्ठ कर्मी चाहे वह किसी भी श्रेणी का हों, वह भवन विशेष आवंटित किया जायेगा तथा इस संबंध में कनिष्ठ व अनिच्छुक कर्मियों से पत्राचार किये बिना कार्यवाही की जायेगी।
5. अधिकारियों / कर्मचारियों से अपेक्षा की जाती है कि उपर्युक्त विषयक में वर्णित आवासों का चयन कर आवास पर अपनी सहमति विलम्बतम दिनांक 24 .03.2025 तक निर्धारित प्रारूप में आवेदन करना चाहे। निर्धारित अवधि के पश्चात् कोई भी आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जायेगें।
6. वरिष्ठता सूची संस्थान की वेबसाइट पर उपलब्ध है। निर्धारित प्रारूप पत्र के साथ संलग्नक है।

संलग्नक : उपरोक्तानुसार

सम्पत्ति अधिकारी
17 Mar 2025

प्रतिलिपिः

1. निदेशक महोदय को सादर सूचनार्थ।
2. समस्त विभागाध्यक्षों / नोडल अधिकारियों को ई–मेल / ई–आफिस के माध्यम से इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया अपने अधीनस्थ उपरोक्त अधिकारियों / कर्मचारियों को उक्त आदेश से अवगत कराने की कृपा करें ।
3. विभागाध्यक्ष बायोस्टैटिस्टिक्स से अनुरोध है कि उक्त आदेश संस्थान को वेबसाइट पर अपलोड करने की कृपा करें।
4. अधीक्षण अभियंता(विद्युत) / (सिविल)
5. समस्त नोटिस बोर्ड

सम्पत्ति अधिकारी